2020 का विधेयक संख्यांक 93

[दि जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर विनियोग अधिनियम, 2020 है ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से 2,08,70,40,000 रुपए का निकाला जाना ।

2. जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग दो अरब, आठ करोड़, सत्तर लाख, चालीस हजार रुपए से अनधिक है, अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत कतिपय प्रभारों को चुकाने के लिए, 1 अप्रैल, 2019 से 30 अक्तूबर, 2019 तक प्रभावी सात मास की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संदाय किए जाने होंगे ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम के अधीन जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत वे राशियां, जो अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, उक्त वर्ष के संबंध में विनियोजित की जाएंगी ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2		3		
अनुदान की मांग	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
10	विधि विभाग	राजस्व	2,08,70,40,000	...	2,08,70,40,000
		कुल योग :	**2,08,70,40,000**	...	**2,08,70,40,000**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239क और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का0आ0 3937(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2019 को, तारीख 31 अक्तूबर, 2019 की उद्घोषणा के परिणामस्वरूप जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का0आ0 3938(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2019 के अनुसरण में, तारीख 1 अप्रैल, 2019 से 30 अक्तूबर, 2019 तक की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदत्त रकम से अधिक है, विनियमित करने के लिए अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशियों को, जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए पुर:स्थापित किया गया है ।

निर्मला सीतारामन

MGIPMRND—5932LS(CRC)—13-3-2020.